पटना में दिनांक–13 अक्टूबर, 2023 शुक्रवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

1. वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में केन्द्र प्रायोजित "विशेष आधारभूत संरचना योजना" (वर्ष 2022–26) के तहत विशेष आसूचना शाखा, विशेष कार्य बल एवं उग्रवाद प्रभावित जिलों के जिला पुलिस बल के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल राशि ₹3783.17657 लाख (सैंतीस करोड़ तेरासी लाख सत्रह हजार छः सौ सनतावन रू०) मात्र की नयी कार्य योजना की स्वीकृति देने के संबंध में। — **1.** स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

2. बिहार पंचायत सेवा नियमावली, 2010 के नियम–2, 3, 4 एवं 7 में संशोधन करने के संबंध में। — **2.** स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

3. इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के क्षेत्रीय चक्षु संस्थान हेतु विभिन्न विभागों के शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कुल 149 (एक सौ उन्चास) अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति। — **3.** स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

4. राज्य के सभी राजकीय दन्त महाविद्यालयों, यथा–राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, पैठना, भागनबिगहा, रहुई, नालन्दा एवं पटना दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में विभागीय संकल्प सं०–187(1), दिनांक–14.03.2023 द्वारा निर्धारित नामांकन एवं अन्य शुल्क के अनुरूप दन्त चिकित्सा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु नामांकन एवं अन्य शुल्क लागू किये जाने की स्वीकृति। — **4.** स्वीकृत।

वित्त विभाग

5. राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से GFR, 2017 के नियम –144(xi) के संशोधन के अनुरूप बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम–30(xxii) को संशोधित करने के संबंध में। — **5.** स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

6.	खरीफ विपणन मौसम 2023–24 एवं रबी विपणन मौसम 2024–25 में अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य सहकारी बैंक को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/ नाबार्ड/अन्य वित्तीय संस्थानों से 8000 (आठ हजार) करोड़ रूपये ऋण प्राप्त करने एवं एतदर्थ उक्त ऋण के अनुवर्ती उपयोगकर्ता जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को दिये गये ऋण, पुनः जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थानों को दिए गए ऋण पर राजकीय गारंटी प्रदान करने के संबंध में।	**6.**	**स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

7.	श्री अंबिका प्रसाद गुप्ता तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा (सम्प्रति बर्खास्त) को विभागीय अधिसूचना संख्या–13226, दिनांक–03.09.2015 द्वारा दण्ड स्वरूप किये गये बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने एवं बर्खास्तगी की तिथि से सभी परिणामी लाभों सहित अनिवार्य सेवानिवृत किये जाने के संबंध में।	**7.**	**स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

8.	राज्याधीन सेवाओं में प्रोन्नति के पदों पर योग्य कर्मियों को कार्यकारी प्रभार देने के संबंध में।	**8.**	**स्वीकृत।**